सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

110

सत्रहवीं लोक सभा

एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च , **2023/** चैत्र, **1945**(शक)

<u>विषय-सूची</u>

पृष्ठ

	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
<u>प्रतिवेदन</u>	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।	01
	<u>परिशिष्ट</u>	
<u>परिशिष्ट – एक</u>	समिति द्वारा अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	03
<u>परिशिष्ट – दो</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	09

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह एक सौ दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का अठहत्तरवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) ने अठहत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाते हुए 24.08.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को इस प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

गिरीश चन्द्र

23 मार्च, 2023 — सभापति

02 चैत्र, 1945 (शक) — सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023), लोक सभा</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन अपने अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की–गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले से संबंधित है, और जिसे 04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों / सिफारिशों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से की-गई-कार्रवाई उत्तर 24 अगस्त, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर <u>परिशिष्ट - एक</u> में दिया गया है।

3. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में संस्थान के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर समय पर न रखने के संबंध में मंत्रालय की विफलता को इंगित किया था, और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के आवश्यक दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर से समिति नोट करती है कि सचिव (उच्चतर शिक्षा/अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संगठनों को लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करने, उन्हें अंतिम रूप देने तथा प्रस्तुत करने की समय-सीमा की

जानकारी दे दी गई है। वित्त मंत्रालय से लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा का पालन करने, विशेष रूप से लेखापरीक्षा करने और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजने के मामले को सीएण्डएजी के साथ उठाने का भी अनुरोध किया गया था। वित्त समिति और शासक मंडल से दस्तावेजों का अनुमोदन कराने में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए, मंत्रालय ने परिचालन के माध्यम से दस्तावेजों का अनुमोदन कराने का निर्णय लिया था।

4. तथापि, समिति, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह पाती है कि संस्थान के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं को 30 जून, 2022 तक सीएण्डएजी को प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन उन्हें जुलाई, 2022 तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, समिति मंत्रालय पर पुरज़ोर दवाब डालती है कि वह अपने द्वारा निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से अनुपालन करे, ताकि संस्थान के आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जा सके। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

गिरीश चन्द्र

23 मार्च, 2023 सभापति

02 चैत्र, 1945 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट – एक</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

अठहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।

(सिफारिश क्रम सं. 21)

समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 37(3) में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया है, जो कहता है कि आईआईआईटी के लेखापरीक्षित लेखा विवरण के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह से पहले तैयार और जारी किए जाएंगे। पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि आईआईआईटी, लखनऊ के वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के दस्तावेजों को 13 से 37 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था और वर्ष 2019-20 तथा 2020-2021 के दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसलिए, समिति मंत्रालय/आईआईआईटी, लखनऊ से इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि वे आईआईआईटी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के आवश्यक दस्तावेजों को बिना किसी और विलंब के सभा पटल पर रखे। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

आईआईआईटी लखनऊ के संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को वर्ष 2022 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रखा गया है:

वित्त वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए		लेखापरीक्षित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए	
	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा
2019-20	08.08.2022	03.08.02022	08.08.2022	03.08.2022
2020-21	08.08.2022	03.08.2022	08.08.2022	03.08.2022

निम्नलिखित को विलंब का कारण बताया जा सकता है:

(एक) कोविड-19 महामारी और उसके बाद की लहरें;

(दो) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विलंब से प्राप्ति

मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न कदमों के अलावा, इस मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2022 के का.ज्ञा. सं. 52-2/2022-टीएस.I के द्वारा वित्त मंत्रालय से लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने की समय-सीमा का पालन करने विशेष रूप से लेखापरीक्षा करने और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) के प्रेषण के लिए इस मामले को सीएंडएजी के साथ उठाने का अनुरोध किया है।

(शिक्षा मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 52-2/2021-टीएस.I दिनांक 24 अगस्त, 2022)

(सिफारिश क्रम सं. 22)

आईआईआईटी, लखनऊ के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह नोट कर निराश है कि लेखापरीक्षा प्राधिकारियों की नियुक्ति से लेकर मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लिए गए समय तक के प्रत्येक चरण में विलंब हुआ था। समिति द्वारा पूछे जाने पर, मंत्रालय/संस्थान के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में सामने आ रही वास्तविक समस्याओं से अवगत कराया और समिति को इस संबंध में उनके द्वारा किए गए कुछ उपचारात्मक उपाय की जानकारी दी। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए उनकी ओर से एक समय-सीमा निर्धारित की गई है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय/ आईआईआईटी, लखनऊ द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों से भविष्य में संस्थान के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नवत हैं:

(एक) सचिव (उच्चत्तर शिक्षा)/अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) के स्तर पर निगरानी।

(दो) समय-समय पर एए और एआर जमा करने के लिए संस्थानों को अनुस्मारक देना।

(तीन) एए और एआर तैयार करने, अंतिम रूप देने और जमा करने के लिए समय-सीमा बताई गई।

(चार) समय-सीमा का पालन करने के लिए परिचालन के माध्यम से एआर और एए सहित जरूरी मामलों पर एफसी और बीओजी का अनुमोदन।

(पांच) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफसी/बीओजी बैठकें आयोजित करना।

(छह) आईआईआईटी, लखनऊ के वित्त वर्ष 2021-22 के एआर और एए को सभा पटल पर रखने के लिए, दिनांक 01.08.2022 की पत्र संख्या 54-2/2021-टीएस.I के द्वारा संस्थान को प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्ष 2021-22 के लिए लंबित वार्षिक लेखाओं को जल्द-से-जल्द लेखापरीक्षा महानिदेशक को भेजने की सलाह दी गई थी, ताकि उनकी ओर से लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने में कोई विलंब न हो और संसद में वार्षिक प्रतिवेदनों को रखने में होने वाले विलंब का बाद की प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सके।

(शिक्षा मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 52-2/2021-टीएस.I दिनांक 24 अगस्त, 2022)

(सिफारिश क्रम सं. 23)

समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा अपने नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी संगठनों के लिए एक "पोर्टल" शुरू किया गया था जिसमें आवश्यक दस्तावेजों को संसद में रखने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूरा करने की समय-सीमा बताई गई है। समिति ने पोर्टल शुरू करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और यह सुझाव दिया कि इस पोर्टल में एक चेतावनी

प्रणाली सम्मिलित की जाए जो संस्थाओं को उन्हें दी गई समय-सीमा के अनुसार अपने कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले चेतावनी दे। मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वस्त किया कि वे अपने पोर्टल में इन सुझावों को सम्मिलित करेंगे।

समिति का मानना है कि मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों से न केवल आईआईआईटी, लखनऊ के दस्तावेजों को बल्कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी संगठनों के दस्तावेजों को भी भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

सरकार का उत्तर

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, पोर्टल में अपेक्षित प्रावधान किया गया है जो संस्थानों को समय पर डेटा प्रविष्टि को पूरा करने का अनुस्मरण कराता है और दैनिक अनुस्मारक समय-सीमा से 7 दिन पहले शुरू होते हैं। इसके अलावा, अंतिम दिन से एक दिन पहले एक अनुस्मारक ई-मेल भेजा जाता है।

(शिक्षा मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 52-2/2021-टीएस.। दिनांक 24 अगस्त, 2022)

(सिफारिश क्रम सं. 24)

समिति इस बात के लिए भी मंत्रालय पर जोर देती है कि यदि अपरिहार्य कारणों से आईआईआईटी, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सके तो निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के

कारणों को बताने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

भविष्य में, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की समय-सीमा का पालन करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी।

(शिक्षा मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 52-2/2021-टीएस.। दिनांक 24 अगस्त, 2022)

परिशिष्ट-II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - *सभापति*

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल केवर्मा . - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 –4 xx xx xxx xx

5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 78वें प्रतिवेदन 17)वीं लोक सभा टिप्पणियों पर/में की गई सिफारिशों (सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

6 - 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx xx xx xx
Xx xx xx xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।